# उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

## आदेश पत्रक

विविध अपील वाद संख्या–96/2024

मेसर्स गणेश हार्ड कोक कम्पनी, पार्टनर श्री पवन कुमार अग्रवाल बनाम् जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़।

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख |
|---|---|---|
| 17/10/25 | **–:: आदेश ::–** | |

इस वाद की कार्यवाही मेसर्स गणेश हार्ड कोक कम्पनी, पार्टनर श्री पवन कुमार अग्रवाल, ग्राम–बोंगाबार, पो०–भरेचनगर, थाना–माण्डू, जिला–रामगढ़ के द्वारा जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ का पत्रांक–1038/खनन, दिनांक–11.09.2024 के विरूद्ध U/s-14 of Jharkhand Minerals (Preventation of Illegal Mining, Transportation & Storage) Rule-2017 के तहत दायर आवेदन के आलोक में प्रारंभ किया गया। वाद को सुनवाई हेतु अंगीकृत करते हुए जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। जिसके आलोक में जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा पत्रांक–548/खनन, दिनांक–29.04.2025 के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि यह अपील प्रतिवादी जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक–11.09.2024 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। जिसके तहत जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ ने झारखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एव भंडारण निवारण) नियम, 2017 के नियम 9(iii) के अंतर्गत क्रेता मेसर्स गणेश हार्डकोक कंपनी द्वारा विक्रेता मेसर्स रघुवंशी एंटरप्राइजेज, बोकारो स्टील सिटी को अनुपयोगी कोयला वापस करने के लिए खनिज परिवहन चालान जारी करने के हमारे आवेदन को अस्वीकार कर दिया है। अपीलार्थी के पास झारखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियम, 2017 के अंतर्गत मेसर्स गणेश हार्ड कोक कंपनी के नाम से खनिज विक्रेता पंजीकरण संख्या–J030907924 वर्ष–2019 है, जो स्वयं के उपभोग हेतु कोयले के भंडारण एवं प्रसंस्करण हेतु है। अपीलार्थी ने दिनांक–12.10.2023 को मेसर्स रघुवंशी एंटरप्राइजेज, बोकारो स्टील सिटी से 51.560 टन कोयला खरीदा था। आपूर्ति किया गया कोयला हमारे संयंत्र के विनिर्देशों के अनुसार अनुपयोगी निकला। इसके बाद हमने मेसर्स रघुवंशी एंटरप्राइजेज, बोकारो स्टील सिटी के समक्ष घटिया दर्जे के कोयले की आपूर्ति का मुद्दा उठाया और उन्होंने इस घटिया दर्जे के कोयले को वापस लेने पर



Scanned with OKEN Scanner

सहमति व्यक्त की गई। उपर्युक्त संदर्भ में अपीलार्थी ने दिनांक–13.06.2024 को अपने अनुरोध के माध्यम से घटिया कोयले को आपूर्तिकर्ता को वापस करने के लिए खनिज परिवहन चालान जारी करने हेतु जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ से किया गया। जिसे जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। अपीलार्थी द्वारा पुनः दिनांक–27.08.2024 को जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ के समक्ष घटिया कोयले को आपूर्तिकर्ता को वापस करने के उद्देश्य से खनिज परिवहन चालान जारी करने निमित अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जिसे भी जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ ने दिनांक–11.09.2024 को अस्वीकार कर दिया गया।

जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा दिनांक–11.09.2024 के आदेश संख्या–1038 में अस्वीकृति के दो कारण बताए गए हैं, (i) खनिज विक्रेता पंजीकरण संख्या–J030907924 का उद्देश्य (स्व–उपभोग हेतु क्रय) है। (ii) लगभग सात महीने की देरी हुई है और इस बीच संयंत्र में आर०ओ०एम० (बिना ग्रेड) का उक्त कोयला खपत हो चुका है। जबकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत आपूर्तिकर्ता को घटिया कोयला वापस करना हमारा अधिकार है और इसलिए झारखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियम, 2017 के तहत लाइसेंसिंग प्रावधान अपीलार्थी को आपूर्तिकर्ता द्वारा घटिया वस्तु (कोयला) को वापस करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने से नहीं रोका जा सकता है।

उक्त के आलोक में अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपील आवेदन स्वीकार करते हुए जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा पारित आदेश पर रोक लगाते हुए घटिया कोयला वापस करने हेतु जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ को परिवहन चालान निर्गत करने का आदेश देने का अनुरोध किया गया।

जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा पत्रांक–548/खनन, दिनांक–29.04.2025 के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराते हुए अनुज्ञप्ति स्थल पर भण्डारित खनिज का अन्यत्र प्रेषण किया जाना The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation & Storage) Rules, 2017 के नियमों एवं प्रावधानों के विपरीत है। माह अक्टूबर 2023 में खरीदी गई कोयला खनिज की गुणवत्ता पर लगभग सात महीने बाद माह जून/जुलाई 2024 में आपत्ति करते हुए वापस किये जाने हेतु आवेदन करना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। साथ ही खनिज विक्रेता पंजीकरण संख्या–J030907924 का उद्देश्य स्व उपभोग हेतु है न कि कोयले का व्यपार किए जाने के लिए।

सरकारी अधिवक्ता ने अपने बहस के दौरान कहा कि जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ का पत्रांक–1038/खनन, दिनांक–11.09.2024 के विरूद्ध U/s-14 of Jharkhand Minerals (Preventation of Illegal Mining, Transportation & Storage) Rule-2017 के तहत यह अपील आवेदन दायर किया गया है। जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा अपीलार्थी द्वारा विक्रेता



Scanned with OKEN Scanner

मेसर्स रघुवंशी एंटरप्राइजेज, बोकारो स्टील सिटी को अनुपयोगी कोयला वापस करने के लिए परिवहन चालान निर्गत करने संबंधी आवेदन को अस्वीकृत किया गया है, जो विधि सम्मत प्रतीत है। अपील आवेदन खारीज करने योग्य है।

अपीलार्थी व सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ द्वारा प्रस्तुत तथ्य एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत कागजातों तथा जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ के प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा विधि सम्मत आदेश पारित किया गया। जिसमें हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है। अतः अपील आवेदन खारीज किया जाता है।

इसी आदेश के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त,
रामगढ़।

उपायुक्त,
रामगढ़।

Digitally signed by Faiz Aq Ahmed Mumtaz
Date: 2025.11.04 14:26:39 +05:30
Location: 192.168.0.109

Scanned with OKEN Scanner